न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3204–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–09–2011 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) राजपुर जिला बडवानी के प्रकरण कमांक 27/अपील/अ–27/2010–11

1– पंढरीनाथ पिता शंकर
2– सुखदेव पिता शंकर
3– शांताबाई पति शंकर
समस्त निवासी केरवा तहसील ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

धन्नालाल पिता शोभाराम मृत वारिसानगण
1–शांतिलाल पिता धन्नालाल
निवासी कुंडिया तहसील गोगाना जिला खरगोन
2–सूरजबाई पति जगदीश यादव
निवासी यादव मोहल्ला ठिकरी तहसील ठिकरी जिला बडवानी
3–शांताबाई पति कालु यादव
निवासी यादव मोहल्ला ठिकरी तहसील ठिकरी जिला बडवानी

——— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.जी.पाठक ।

अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एच.एन.फड़के ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) राजपुर जिला बडवानी के प्रकरण कमांक 27/अपील/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 05–09–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 1 एवं 2 के पिता व आवेदिका कमांक 3 शांताबाई के पति शंकर द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा ठिकरी तहसील राजपुर के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम केरवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 82/2/2 रकबा 0.17 एकड़ व सर्वे कमांक 142/1, 143/1 रकबा 3.60 एकड़ कुल रकबा 3.77 एकड़ उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि होकर वह उसका उपयोग कर रहा है । उसके भाई धन्नालाल एव बाबूलाल पिता शंकर का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि में उनका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल का स्वत्व ग्राम केरवा की दूसरी भूमि रकबा 3.40 एकड़ पर है एवं धन्नालाल का स्वत्व ग्राम कुंडिया की दूसरी भूमि रकबा 3.00 एकड़ पर है । इस कारण उपरोक्त भूमियों में बाबूलाल नाम कम कर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ—6/1983—84 दर्ज कर दिनांक 27—02—1984 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में धन्नालाल एवं बाबूलाल का नाम कम किया जाकर स्वतंत्र रूप से शंकर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात् अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पिता धन्नालाल द्वारा तहसीलदार ठिकरी जिला बडवानी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ—6/2010—11 दर्ज कर दिनांक 11—03—2011 को आदेश पारित कर धन्नालाल का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर धन्नालाल द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05—09—2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 11—03—2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक धन्नालाल की विधिवत् सुनवाई की जावे तथा पूर्व प्रकरण कमांक 32/अ—6/1983—84 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 27—02—1984 में कोई त्रुटि परिलक्षित हो रही हो तो नियमानुसार संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करते हुये प्रकरण में गुणदोष के आधार पर विधिवत् आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) शंकरलाल के नाम प्रश्नाधीन भूमियॉ तहसील के प्रकरण कमांक 32/अ–6/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 27–02–1984 अनुसार दर्ज हुई थी । तत्पश्चात् शंकर की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर दर्ज हो गया । इस दौरान धन्नालाल द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई ।

(2) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–1984 की जानकारी अनावेदकगण के पिता धन्नालाल को प्रारम्भ से रही है, क्योंकि तहसीलदार के उक्त प्रकरण कमांक 32/अ–6/1983–84 में धन्नालाल एवं बाबूलाल उपस्थित हुये हैं, और उनके कथन भी अंकित किये गये हैं ।

(3) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–1984 को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं देने के कारण वह अंतिम होकर अपील योग्य आदेश है और ऐसे आदेश को स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन में नही लिया जा सकता है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–1984 को चुनौती नहीं देकर नये सिरे से प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–03–2011 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27–02–1984 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही करना चाहिये थी, जबकि संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी को इस बात का ज्ञान होना चाहिये था कि संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं होकर संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन के लिये कुछ माह की समय सीमा निर्धारित है, इस कारण तहसीलदार के

आदेश को 25–26 वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन में लिये जाने में अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों की बाधा आती है । तहसीलदार इतने लम्बे समय पश्चात् स्वयं के आदेश को न तो निरस्त कर सकते हैं और न ही उसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं ।

(6) व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य विवाद के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह पुनर्विलोकन हेतु तहसीलदार को निर्देशित कर सके । यदि अनावेदकगण तहसीलदार के पूर्व आदेश से व्यथित थे, तब उन्हें उसकी अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी । निजी मामलों में पुनर्विलोकन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है ।

(7) अनावेदकगण द्वारा इस तथ्य को छिपाकर तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदकगण के समस्त स्वत्व दीवानी न्यायालय की डिक्री के आधार पर समाप्त हुये है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

तर्क के समर्थन वर्ष 1991 आर.एन. 51 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है ।

4– अनावेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, इसलिये यह निगरानी निरर्थक होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1969 आर.एन. 344 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के अनुसार यदि प्रारंभिक आदेश निरस्त हो जाता है, तो उसके आधार पर दिये गये पश्चात्वर्ती समस्त आदेश भी निरस्त हो जाते हैं । अतः अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में मान्य योग्य नहीं है ।

6– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ मे अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के पूर्वज शंकर के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 32/अ–6/1983–84 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ

की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पिता धन्नालाल द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का कथन किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों में उसका कोई स्वत्व नहीं है और उक्त भूमि उसके भाई अकेले शंकर की भूमि है, क्योंकि उसे 3.00 एकड़ भूमि ग्राम कुंडिया में हिस्से में प्राप्त हो गई है । इसी प्रकार बाबूलाल द्वारा भी उपस्थित होकर इस आशय का कथन किया गया है कि ग्राम केरवा में दूसरी भूमि 3.40 एकड़ उसे हिस्से में प्राप्त हो गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों से उसका नाम कम करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । तद्नुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–02–1984 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर शंकर का नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार के उक्त आदेश को धन्नालाल एवं बाबूलाल द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों में न तो चुनौती दी गई है और न ही प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है, इस कारण वह आदेश अंतिम हो गया है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पिता धन्नालाल द्वारा दिनांक 27–01–2011 को उक्त नामान्तरण आदेश को छिपाकर नये सिरे से लगभी 25 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 11–03–2011 से निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–1984 को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम होकर वर्तमान में अस्तिव में है और उक्त आदेश के अस्तिव में रहते तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में नये सिरे से न तो नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है और न ही नामान्तरण आदेश पारित किया जा सकता है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है प्रथमतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–1984 के पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये हैं, जबकि संहिता की धारा 52 में पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं होकर स्थगन के संबंध में प्रावधान है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर विधि विपरीत है । द्वितीय अनुविभागीय अधिकारी को केवल यह देखना था कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–03–2011 में अवैधानिकता हुई है अथवा नहीं, परन्तु उनके द्वारा इस आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है कि यदि तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित

आदेश में कोई त्रुटि प्रकट हो रही थी तो विधिवत् संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करना थी, ~~क्योंकि~~ अनुविभागीय अधिकारी को स्वयं प्रकरण कमांक 32/अ–6/1983–84 का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकालना था कि उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27–02–1984 में क्या अवैधानिकता अथवा अनियमितता हुई है, संभावना के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त नहीं करना चाहिये था । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संभावना के आधार पर कि यदि तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–1984 में कोई त्रुटि हुई है तो उसके पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है। कारण संभावना के आधार पर आदेश पारित करना विधिसंगत नहीं है । यहॉ महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–1984 का लगभग 26 वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन करने के निर्देश देने में अवधि विधान के प्रावधानों की बाधा आती है, इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित कार्यवाही नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि चूँकि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अंतिम आदेश पारित हो गया है, इसलिये यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष तहसील न्यायालय का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–01–2012 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान कर प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया है । तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण में पेशियॉ नियत होती रहीं हैं और दिनांक 11–05–2012 को पेशी दिनांक 25–05–2012 नियत की गई है, इस बीच दिनांक 17–05–2012 को प्रकरण आयुक्त के न्यायालय में भेज दिया गया है, इससे प्रकरण में अंतिम आदेश होना परिलक्षित नहीं होता है । यदि कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जाये कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, तब भी आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत वर्ष 1969 आर.एन. 344 भंवरलाल जेन विरूद्ध कलेक्टर जिला मंदसौर में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

'Practice—initial order quashed—subsequent order resulting the initial order are to be set aside."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में की गई समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी के अवैध प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में की गई कार्यवाही स्थिर नहीं रखी जा सकती है ।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—09—2011 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—03—2011 एवं पूर्व आदेश दिनांक 27—02—1984 स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर